

प्रश्न सं. [क. 1771]

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

कमांक/डी-15-07/2009/14-3: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना कमांक 7972/2556/14-1 दिनांक 25.9.1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम पंचायत छैगाव माखन तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा कमांक की 4.049 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:-

कमांक	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	884 में से	3.240
2	887 में से	0.809
	योग	4.049

जिसकी सीमाएं

उत्तर में	-	स्टेट हाइवे कमांक 26.
दक्षिण में	-	शासकीय भूमि खसरा कमांक 884 एवं 887.
पूर्व में	-	शासकीय भूमि खसरा कमांक 887.
पश्चिम में	-	शासकीय भूमि खसरा कमांक 882.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(बी०एस०बघेल)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

कमांक/डी-15-07/2009/14-3

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-3-10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(बी०एस० बघेल)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट-01 पृष्ठ क्रमांक 01 से 01

सहायक संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल